

राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19499/2024

कबीर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, उम्र लगभग 77 वर्ष, निवासी धनकावाली ढाणी, तहसील और जिला हनुमानगढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, वृत्त हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- अधिशाली अभियन्ता, जल संसाधन, खण्ड-द्वितीय, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- सहायक अभियंता, घग्गर उपखण्ड, जल संसाधन, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- पवित्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह, वार्ड नंबर 18, धनकावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सुशील बिश्रोई
प्रतिवादीगण के लिए	:	डॉ. मिलाप चोपड़ा
		श्री प्रदीप खोसा

माननीय न्यायाधिपति सुश्री रेखा बोरणा
आदेश

30/01/2025

1. वर्तमान रिट याचिका, अपील संख्या 70/2024 में अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, वृत्त हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अधिशासी अभियंता द्वारा पारित दिनांक 01.08.2024 के आदेश को अपास्त कर दिया गया है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए अधिशासी अभियंता को वापस प्रेषित कर दिया गया है।

हालाँकि, उक्त आदेश पारित करते समय, अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता द्वारा पारित दिनांक 01.08.2024 के आदेश के अनुपालन में वर्तमान सिंचाई सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश दिया।

2. निजी प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई और कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने उसी राहत के लिए सिविल न्यायालय का रुख भी किया था, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था और इसलिए, उसी राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

3. उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सिविल मुकदमे में प्रतिवादीगण को उसके कृषि क्षेत्र से होकर कोई भी जलमार्ग बनाने से रोकने के लिए राहत मांगी गई थी। उक्त मुकदमे में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज करते हुए, विद्वान सिविल न्यायालय ने पाया कि कार्यकारी अभियंता द्वारा की गई कार्रवाई अधीक्षण अभियंता द्वारा पारित दिनांक 28.08.2024 के आदेश के अनुपालन में थी और इसलिए यह वैध थी। उक्त घटना में, याचिकाकर्ता के पास अधीक्षण अभियंता द्वारा पारित दिनांक 28.08.2024 के आदेश को चुनौती देने के अलावा कोई अन्य

विकल्प नहीं बचा था। इसलिए, उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से पोषणीय है।

4. याचिका के गुण-दोष के आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब अधीक्षण अभियंता ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए कार्यकारी अभियंता को वापस भेज दिया, तो वह उसी आदेश को बहाल करने का निर्देश नहीं दे सकते थे, जिसे चुनौती दी गई थी।

5. अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि यदि उक्त निर्देश का पालन भी किया जाना था, तो भी अधिशासी अभियंता, उसके अनुसरण में, न तो जलमार्ग के पुनः निर्माण का निर्देश दे सकते थे और न ही दिनांक 08.11.2024 (संलग्नक-11) के नोटिस के माध्यम से याचिकाकर्ता को दो दिनों की अवधि के भीतर अपनी फसल हटाने का निर्देश दे सकते थे।

6. इसके विपरित, निजी प्रतिवादी के अधिवक्ता का तर्क है कि जब तक अधिशासी अभियंता द्वारा मामले का निर्णय नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिवादी भी सिंचाई सुविधाओं का हकदार था और इसलिए कार्यकारी अभियंता की कार्रवाई पूरी तरह से सही थी।

7. प्रत्युत्तर की बहस के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने साइट मानचित्र (अनुलग्नक 2) की ओर इशारा किया, जो अधिशासी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि निजी प्रतिवादी अपने द्वारा निर्मित पक्के नाले से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त कर रहा है।

8. राज्य के अधिवक्ता ने भी दिनांक 12.06.2024 (अनुलग्नक 2) की उक्त साइट रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें दर्शाया गया है कि कथित कच्चा जलमार्ग वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अपने आंतरिक उपयोग के लिए बनाया गया था और निजी प्रतिवादी ने उक्त कच्चे जलमार्ग से प्राप्त जल सुविधा का कभी उपयोग नहीं किया। उक्त रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि तीसरे

खातेदार हरजिंदर सिंह ने भी कहा है कि उन्हें निजी प्रतिवादी और वर्तमान याचिकाकर्ता की भूमि के बीच बनी 'पुली' से सिंचाई सुविधा मिल रही है।

9. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और 'जल उपयोगकर्ता संघ' के अध्यक्ष की दिनांक 12.06.2024 की रिपोर्ट के मद्देनजर, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निजी प्रतिवादी वर्तमान में पक्के नाले से अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्राप्त कर रहा है।

10. इसलिए, उपर्युक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए अधिशासी अभियंता को वापस प्रेषित कर दिया गया है, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2-अधिशासी अभियंता को 10.02.2025 से दो सप्ताह की अवधि के भीतर नए सिरे से मामले का निर्णय करने के निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है।

11. दोनों पक्षकार 10.02.2025 को अधिशासी अभियंता के समक्ष उपस्थित रहेंगे और अधिशासी अभियंता पक्षकारों को कोई भी नए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अधिशासी अभियंता दोनों संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिशासी अभियंता वर्तमान आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे तथा मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नये सिरे से करेंगे।

13. स्थगन याचिका और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का **निस्तारण** किया जाता है।

(रेखा बोराणा),जे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निस्तारण एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate
